



# अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ALL INDIA MARWARI FEDERATION

(Regd. under W.B. Societies act XXVI of 1961)

४बी, डकबैक हाउस (४ तल्ला), ४१, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - ७०० ०१७  
4B, Duckback House (4th Floor), 41, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017

म्हारी चाह - संगठित समाज

## प्रमुख उद्देश्य

समाज सुधार, समरसता  
राजनीतिक चेतना, सामाजिक  
उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता

अ.भा.मा.स./२०/२०२६-२७

दिनांक: १५ मई २०२६

## राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी माननीय सदस्यों के सादर ध्यानार्थ

**विषय: पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान स्थिति पर सम्मेलन के संविधान की धारा १० (४) के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक की सूचना**

## सम्माननीय महोदयगण,

आशा है आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे!

**“जैसा कि आपको विदित है”**

- पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष का दो सत्रों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है तथा सम्मेलन के संविधान के अनुसार निर्धारित समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है।
- समयसीमा के अंतर्गत तत्कालीन प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं करवाई गयी एवं संविधान का पालन करते हुए, अनुरोध के पश्चात भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया।
- न्यायालय में लंबित एक मामले में प्रतिपक्ष ने पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की चुनाव प्रक्रिया को निरस्त एवं स्थगित करने की अर्जी दी गई जिसका तत्कालीन प्रांतीय अध्यक्ष श्री नन्द किशोर अग्रवाल द्वारा विरोध नहीं किया गया बल्कि सहमति दर्ज करवा कर चुनाव प्रक्रिया के निरस्तीकरण एवं स्थगन का न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में प्रतिपक्ष को सहयोग किया गया जो की संगठन, समाजहित एवं संविधान के विरुद्ध एवं अनैतिक है।
- उपरोक्त के फलस्वरूप अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की गत १६ अप्रैल २०२६ को कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सम्मेलन के संविधानानुसार सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की वर्तमान कार्यकारिणी समिति को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।
- यह भी संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंग प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष का अधिकतम दो कार्यकाल समाप्त होने एवं वर्तमान कार्यकारिणी भंग होने जाने के पश्चात भी श्री नंदकिशोर अग्रवाल प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर बने रहना चाहते हैं जो की पूर्णतः असंवैधानिक एवं संगठनात्मक मर्यादाओं के विपरीत है।
- इसके अतिरिक्त गैर-संवैधानिक संगठन और समाज हित के विरुद्ध श्री नंदकिशोर अग्रवाल द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ एवं निर्णय के आधार पर प्रान्त को अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन से पृथक कर लेने का प्रयास किया जा रहा है जो की सम्मलेन की मूल भावना एवं संविधान के विरुद्ध है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

## प्रादेशिक शाखा सम्मेलन

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल  
उत्कल, पूर्वोत्तर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश  
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़  
आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु  
गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना  
केरल एवं सिक्किम



# अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ALL INDIA MARWARI FEDERATION

(Regd. under W.B. Societies act XXVI of 1961)

४बी, डकबैक हाउस (४ तल्ला), ४१, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता - ७०० ०१७  
4B, Duckback House (4th Floor), 41, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017

म्हारी चाह - संगठित समाज

## प्रमुख उद्देश्य

समाज सुधार, समरसता  
राजनीतिक चेतना, सामाजिक  
उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता

उक्त कार्यों में तत्कालीन प्रांतीय महामंत्री श्री पंकज भालोटिया की भी सक्रिय सहभागिता रही है। उन्होंने प्रांतीय शाखाओं में संपर्क कर संगठन विरोधी वातावरण बनाने का प्रयास किया तथा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस शिकायत एवं न्यायालय में कैविएट दाखिल कराने जैसी कार्यवाहियों में सहयोग तथा संगठन विरोधी कार्यों में संलिप्तता थी।

- ➔ राष्ट्रीय अध्यक्ष  
पवन कुमार गोयनका  
93125 09329
- ➔ निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष  
शिव कुमार लोहिया  
98305 53456
- ➔ राष्ट्रीय उपाध्यक्षगण  
गिरधारी लाल गोयनका  
98310 06972  
डॉ. सुभाष अग्रवाल  
91415 00000  
बिनोद तोदी  
93341 11345  
राज कुमार मिश्रा  
93139 94500  
पुरुषोत्तम सिंघानिया  
97555 57777  
गोकुल चन्द बजाज  
93777 78333
- ➔ राष्ट्रीय महामंत्री  
केदार नाथ गुप्ता  
98306 48056
- ➔ राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री  
पवन कुमार जालान  
98300 43207  
पवन कुमार बंसल  
98309 55380
- ➔ राष्ट्रीय संगठन मंत्री  
बसंत कुमार सुराना  
94014 53962
- ➔ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष  
अनिल कुमार मलावत  
98310 37556

इसी संदर्भ में राष्ट्रीय संविधान की धारा ८(२), ८(५), ८(अ) (३), तथा ५ (ब) (ग) के क्रियान्वयन पर विचार तथा निर्णय हेतु धारा १०(४) के तहत दिनांक: १८ मई २०२६ को अपराह्न ५.०० बजे, केंद्रीय कार्यालय के सभागार (४बी, डकबैक हाउस, ४१, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता-७०००१७) में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अत्यावश्यक बैठक आहूत की गई है।

अतः इस अति महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य एवं अपेक्षित है।

कोलकाता के बाहर से माननीय कार्यकारिणी सदस्य वर्चुअली जुड़कर जूम के माध्यम से अपनी बात रख सकेंगे ताकि संविधान के अनुसार निर्णय लिया जा सके। जूम लिंक आपको अलग से प्रेषित की जाएगी।

धन्यवाद सहित,

भवदीय,

केदारनाथ गुप्ता

(केदारनाथ गुप्ता)  
राष्ट्रीय महामंत्री

विषय : उपरोक्त वर्णित

## प्रादेशिक शाखा सम्मेलन

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल  
उत्कल, पूर्वोत्तर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश  
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़  
आंध्रप्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु  
गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना  
केरल एवं सिक्किम